

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना



स्वैच्छक संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं
के लिए प्राईमर



संस्था पैरवी एसोसिएट्स के लिए नरेन्द्र कुमार द्वारा प्रकाशित

मार्गदर्शन : डॉ संजय भट्ट

संकलन : नितिका अरोड़ा, अजय के. झा

सहयोग : अरविन्द कुमार

कवर फोटो साभार – [www.google.com\(Images\)](http://www.google.com/Images)

यह पुस्तिका श्री शरद जोशी को समर्पित है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही उत्तर भारत में "एडवोकेसी" एक महत्वपूर्ण सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में प्रतिस्थापित हुई

प्रस्तावना

अधिकारों की प्राप्ति में गरीबी सबसे बड़ा बाधक है। कीन्स के सिद्धान्तों पर आधारित गरीबी उन्मूलन प्रयास लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें गरीबी रेखा से उपर लाने पर केन्द्रित रहे हैं। हालाँकि ऐसा नहीं माना जा सकता कि रोजगार अन्य अधिकारों के प्राप्ति की कुंजी या गारंटी है लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि रोजगार अन्य अधिकारों के उपभोग की संभावना को अवश्य प्रबल करता है। कम से कम यह भुखमरी, जो कि मानवाधिकारों के घोर हनन है, से तो अवश्य ही बचाता है। भारत के संविधान में यूँ तो भोजन के अधिकार को प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन नीति-निर्देशक तत्वों में राज्य को लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के निर्देश अवश्य दिए गए। समानांतर न्यायिक विचारों व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की अवधारणा में राज्य की यह भूमिका आवश्यक समझी गई और यह माना गया कि हरेक व्यक्ति को जीवनयापन के ऐसे स्तर का अधिकार है जिसमें उसके व उसके परिवार का स्वास्थ्य एवं भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ने भोजन के अधिकार को और स्पष्टता व सुदृढ़ता दी और कहा कि "सभी को उपयुक्त भोजन का अधिकार है" व "भूख से स्वतंत्रता सभी मानव के मौलिक अधिकारों में से एक है"।

यह अत्यंत निराशाजनक है कि आर्थिक विकास के इस अप्रतिम दौर में भी भूख व गरीबी मानवाधिकारों के सर्वप्रथम उल्लंघन है। न सिर्फ भारत व एशिया में बल्कि विश्व में भी। 2004 में विश्व में 842 मिलियन की भूखी जनसंख्या थी। पिछले एक साल में इस जनसंख्या में 2 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। एफ.ओ.ए. के अनुसार विश्व की पूरी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में कौन सी भौतिक व आर्थिक सीमाएँ उनको भोजन से वंचित करती हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। शायद इसका उत्तर सरकारों में अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाने वाली नीतियों को अंत करने की राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। भारत भी ऐसे देशों की सूची में अवश्य है।

भारत विश्व का पहला देश है जहाँ रोजगार को अधिकार बनाया गया है। रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में संसद ने पास कर दिया और 2 फरवरी 2006 से लागू भी कर दिया गया है। लातिन अमरीकी और अफ्रीकी देश जैसे अर्जेंटीना व दक्षिण अफ्रीका और कुछ एशियाई देश जैसे श्रीलंका व इंडोनेशिया में "काम के बदले अनाज" की परियोजनाएँ रही हैं लेकिन रोजगार की गारंटी भारत में पहला उदाहरण है। पूरे विश्व की आँखें इस परियोजना की तरफ देख रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 संक्षेप में (एन.आर.ई.जी.) भारत की 7% जनता (तकरीबन 4 करोड़) से बेरोजगार जनता को काम का अधिकार देता है।

अधिनियम हरेक ग्रामीण परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार का अधिकार

देता है। ग्रामीण परिवार के हरेक व्यक्ति को अपने आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम पाने का अधिकार है। उपयुक्त अधिकारी आवेदक को 15 दिनों के अंदर व उसके निवास के 5 कि.मी. की परिधि में काम उपलब्ध कराने को बाध्य है। काम न दे पाने की स्थिति में बेरोज़गारी भत्ता आवेदक का अधिकार है। अधिनियम अच्छी नीयत के साथ लागू किया गया तो इससे ग्रामीण गरीबी पर निर्णायक प्रभाव पड़ेगा और श्रमिकों को भुखमरी से निज़ात मिलेगी।

अधिनियम व रोजगार गारंटी परियोजना शुरूआती दौर में 200 अत्यंत पिछड़े व गरीब जिलों में लागू की जाएगी। इनमें वो 150 जिले भी शामिल हैं जिसमें काम के बदले अनाज योजना लागू है। परियोजना के सुखद परिणाम आने पर योजना बाकी जिलों में भी कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना पर शुरूआती व्यय 12000 करोड़ रुपये का होगा, जो केन्द्र व राज्य सरकार के बीच 80 : 20 के औसत में बाँटा जायेगा। इसके अतिरिक्त बेरोज़गारी भत्ता राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होगी।

आपके सामने प्रस्तुत यह रोजगार गारंटी प्राईमर (संक्षेप में एन.आर.ई.जी. प्राईमर) अधिनियम व परियोजना को सरल कर उसे लोगों व गैर सरकारी संस्थाओं तक पहुँचाने का प्रयास है। इस दस्तावेज में एन.आर.ई.जी. की अवधारणा व प्रावधान से संबंधित सारी जानकारियाँ आसान प्रश्नोत्तरों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। आशय यह है कि लोग इस परियोजना का लाभ उठा पाएँ और गैर-सरकारी संस्थाएँ इस अधिनियम व परियोजना की मुख्य बातें जानकर लोगों को लाभ दिला पाएँ व इसका निरंतर मूल्यांकन भी कर पाएँ। आशा है प्राईमर लोगों, संस्थाओं व अन्य इच्छुक व्यक्तियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

हमारे सभी शुभचिंतकों एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए हमें असीम प्रसन्नता हो रही है, जिनकी सहायता से यह प्राइमर प्रकाशित कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से हम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा सी.बी.जी.ए. (सैन्टर फॉर बजट एंड गवर्नेन्स अकाउन्टीबिलिटी) के आभारी हैं, जिनके प्रकाशनों से हमें यह प्राईमर बनाने का प्रोत्साहन मिला। इस अवसर पर हम पैरवी के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. संजय भट्ट का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं जिनकी प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शन से ही यह दस्तावेज संभव हो पाया है।

इस प्राइमर में संग्रहित जानकारी को त्रुटि रहित रखने का हर संभव प्रयत्न किया गया है फिर भी यदि किसी प्रकार की तकनीकी एवं मानवीय त्रुटि रह गई हो तो हम उसमें पूर्णतया जिम्मेदार हैं। हम इस संदर्भ में आपके विचारों व प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं।

आप सभी के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के अभिलाषी।

धन्यवाद सहित

नरेन्द्र कुमार

भाग — 1

ए.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम**1. इस अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) के पीछे मूलभूत सोच क्या है ?**

मूलभूत सोच है कि ऐसा कोई भी बालिग व्यक्ति जो अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने का इच्छुक हो उसे कानूनी तौर पर रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाए। यह काम करने के अधिकार के कानूनी तौर पर लागू किए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, और यह सम्मान के साथ जीने के मूलभूत मानवाधिकार से जुड़ा है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस हद तक इन उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है?

देखा जाए तो (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) एक आधा-अधूरा रोजगार गारंटी अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी भी बालिग व्यक्ति जो रोजगार के लिए आवेदन देता है उसे 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर रोजगार गारंटी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है और वह भी केवल प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में केवल 100 दिन। (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) कई मायनों में 2004 में तैयार की गई ड्राफ्ट से बहुत कमजोर है। परन्तु इस का कतई भी यह अर्थ नहीं है कि (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) निरर्थक है। क्योंकि यह पहली बार जब ग्रामीण मजदूरों को

रोजगार की गारंटी एक अधिकार के रूप में दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

3. एक अधिनियम का होना क्यों आवश्यक है बजाए केवल एक रोजगार स्कीम के ?

अधिनियम रोजगार गारंटी को कानूनी शक्ति प्रदान करेगा और मजदूरों एवं कामगारों की मोल-भाव की क्षमता को बढ़ाएगा और साथ ही यह अधिनियम जवाबदेही भी बढ़ाएगा। इसके विपरीत "स्कीम" कोई कानूनी गारंटी नहीं प्रदान करती और कामगारों को सरकारी अफसरों के रहमोकरम पर छोड़ देती है। कुछ समय पहले कई रोजगार "स्कीम" आई थी जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आई.आर.पी.), जवाहर रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादि। इनमें ज्यादातर लोगों को रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही और अक्सर यह देखा गया कि लोगों को इनके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। "स्कीम" और अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां एक "स्कीम" में सरकारी अफसर फेर-बदल कर सकते हैं यहां तक कि उसे समाप्त भी कर सकते हैं वही अधिनियम को कानूनी सहारा प्राप्त होने के कारण उसमें फेर-बदल करने के लिए संसद में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ती है।

4. (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) के सम्भावित लाभ क्या हैं ?

देखा जाए तो इस अधिनियम के अनेकों लाभ हैं। सबसे पहले तो रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.2005) ग्रामीण परिवारों को गरीबी और भुखमरी से बचाएगा। अगर इसमें से (वर्ष में केवल 100 दिन प्रति परिवार) की सीमा को हटाया जा सके तो यह अधिनियम गरीबी रेखा के नीचे वास करने वाले अधिकतर परिवारों को इस रेखा के ऊपर लाने में सहायक होगा। साथ ही यह ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन को भी कम करेगा। इसके अतिरिक्त रोजगार की गारंटी महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। अगर पिछले अनुभवों पर नज़र डालें तो अक्सर ऐसी “स्कीमों” में महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इससे उन्हें आर्थिक स्वच्छन्दता प्राप्त होगी। साथ ही इससे ग्रामीण इलाकों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन होगा। अन्ततः रोजगार की गारंटी ग्रामीण समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रिश्तों में परिवर्तन ला एक समतामूलक समाज के गठन में सहायक होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार गारंटी अधिनियम असंगठित कामगारों की मोलभाव करने की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगा, जिससे कि वे अपने अन्य अधिकारों जैसे कि लागू वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी तथा सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के लिए लड़ सकेंगे।

5. (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 के अंतर्गत किसको काम करने का अधिकार है ?

इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के सभी व्यस्क सदस्य जिनके पास जॉब कार्ड हो रोजगार पाने के हकदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले से भी नियोजित/कार्य में संलग्न हैं तो भी उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अ-कुशल शारीरिक श्रमिक के रूप में रोजगार मांगने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत बी.पी.एल. या ए.जी.एल. किसी भी ग्रामीण परिवार के एक व्यस्क सदस्य को साल में कम से कम सौ दिन के लिए रोजगार व उसकी अनुपलब्धता में बेरोजगारी भत्ता पाने का हक है।

6. क्या (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 का कोई पूर्वदृष्टांत है ?

महाराष्ट्र की सरकार ने 1976 में “रोजगार गारंटी अधिनियम” जारी किया था जो आज भी लागू है और कई विषयों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से अधिक शक्तिशाली है। खासकर इस दृष्टि से कि महाराष्ट्र (ई.जी.ए.) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कितने भी दिनों के लिए रोजगार के लिए आवेदन देने का अधिकारी है अर्थात् यहां 100 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष जैसी कोई सीमा नहीं है।

हालांकि इसके बाद किसी और राज्य ने (रोजगार गारंटी अधिनियम) परित नहीं किया, परन्तु अन्य कई राज्यों में ऐसे अधिनियम के लिए आंदोलन चले। राष्ट्रीय स्तर पर (ई.जी.ए.) लाने के लिए भी कई बार पहल की गई परन्तु वह संसद तक नहीं पहुंची, अंततः

2004 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी बिल, 21 दिसंबर को संसद में प्रस्तुत किया और (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 उस बिल का संशोधित रूप है।

7. क्या रोजगार गारंटी के अंतर्गत साल में काम करने के दिनों की कोई सीमा है ?

रोजगार गारंटी “प्रति परिवार के लिए प्रति वर्ष में 100 दिन तक सीमित है”। ध्यान दें कि “वर्ष” से यहां अर्थ है “आर्थिक वर्ष” जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में पहली अप्रैल को हर ग्रामीण परिवार के पास आने वाले 12 महीनों में काम करने के 100 दिनों का कोटा होगा। ध्यान दें कि ये 100 दिन परिवार के बालिग सदस्यों के बीच बांटे जा सकते हैं। अलग-अलग सदस्य अलग-अलग दिन काम कर सकते हैं या एक दिन भी काम कर सकते हैं जब तक कि कुल मिलाकर उनका समय वर्ष में 100 दिन के ऊपर न जाए।

8. क्या (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 कुछ चुनिंदा राज्यों या जिलों तक सीमित है ?

पहले चरण में (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 का कार्यान्वयन निर्धारित 200 जिलों में होगा। आने वाले 5 वर्षों में (जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर) यह पूरे भारत में लागू हो जाएगा।

9. शहरी इलाकों का क्या ?

(एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 केवल ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित है। इसे शहरी इलाकों में भी लागू करने के लिए काफ़ी सोच-विचार एवं

तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। इस दिशा में कुछ कार्य शुरू हो गया है। पर (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 शहरी मज़दूरों के लिए भी कुछ हद तक लाभकारी है – जैसे कि (1) उनमें से कुछ अपने गांव में ही रह पाएंगे क्योंकि उन्हें वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जिससे उन्हें शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। (2) और गांव से शहरों की ओर पलायन घटने से शहर में काम करने वाले मज़दूरों को बेहतर आय मिलने के अवसर भी बढ़ जाएंगे।

गरीबी रेखा : आवश्यकता एक नई परिभाषा की

गरीबी रेखा

गरीबी रेखा के बारे में हम सब ने अक्सर पढ़ा या सुना है। आंकड़ों के अनुसार कुछ वर्षों पहले भारत की 36 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे थी, आज यह आंकड़ा 28 प्रतिशत है। आंकड़े तो बढ़ते-घटते रहते हैं परन्तु विचार करने की बात है कि "गरीबी रेखा" है क्या ?

अगर हम सरकारी परिभाषा की बात करें तो, यह प्रक्रिया 1970 के दशक से शुरू हुई जब गरीबी के स्तर को पोषण पर आधारित का मापा जाता था। यानि कि गरीबी रेखा गाँव में 2400 कैलोरीज और शहरों में 2100 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता पर आधारित है।

1970 में जब हमारी सरकार ने पहली बार इस परिभाषा का प्रयोग आरम्भ किया तब भोजन "Basket of food" की मासिक कीमत शहरों में 71 रुपये और गांवों में 62 रुपये थी। जो वर्ष 2000 तक महंगाई दर बढ़ने के साथ 454 और 328 रुपये तक बढ़ गई। 2004 में महंगाई दर के अनुसार शहरों में "Basket of food" की मासिक कीमत थी 540 रुपये कहने का अर्थ है कि 2004 में अगर आप भारत के किसी शहर में रहते हैं और 540 रुपये महीना से अधिक कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा के उपर माने जाते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप 600 रुपये

कमाते हैं जिसमें से आप 540 रुपये भोजन पर खर्च कर देते हैं तो आपको गरीब नहीं माना जाता। और इसी जमाजोड़ पर आधारित कर हम भारत की 26 प्रतिशत जनता को गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं और यह सोच प्रसन्न हो जाते हैं कि यह आंकड़ा 36 से घट कर 26 प्रतिशत हो गया है।

यह कितना सही है ? क्योंकि भोजन केवल उन विभिन्न वस्तुओं में से केवल एक है जिनपर हम खर्च करते हैं - छत, कपड़े सेहत, पढाई इत्यादि जैसी चीजों पर होने वाले खर्च का क्या ?

यह मापने की प्रक्रिया और इसके नतीजे दोनों बातें विचार करने योग्य हैं।

हमें गरीबी मापने की ऐसी तकनीक चाहिए जो ज्यादा जन आधारित हो तथा आभाव को विभिन्न ढंगों से देखें। कम आय अभाव का केवल एक अंग है। अभाव का प्रमुख लक्षण है- मानव द्वारा उपलब्धि की एक न्यूनतम दर को ना प्राप्त कर पाना। मौजूदा गरीबी रेखा केवल सरकारी विकास कार्यक्रमों या कहें 'कि उनके अभाव को छुपाने के लिए कारगर है'।

भारत में निर्धनता के केन्द्र

- पूर्वी भारत : पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, तटवर्ती उड़ीसा, असम, त्रिपुरा
- मध्य आदिवासी भारत : बुन्देलखण्ड, दक्षिण बिहार, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम उड़ीसा, तेलंगाना

प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या एवं उसका प्रतिशत

राज्य/संघीय क्षेत्र	ग्रामीण		शहर		मिलाकर कुल	
	व्यक्ति (लाखों में)	प्रतिशत	व्यक्ति (लाखों में)	प्रतिशत	व्यक्ति (लाखों में)	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	26.97	4.58	41.75	18.99	68.72	8.49
अरुणाचल प्रदेश	3.57	37.89	0.14	4.48	29.33	3.68
असम	95.36	37.89	1.78	4.48	97.14	33.33
बिहार	482.16	44.81	54.74	32.69	536.91	43.18
दिल्ली	0.19	2	13.18	2	3.38	2
गोवा	0.13	2	4.38	2	4.81	2
गुजरात	6.88	2	4.38	2	11.25	2
हरियाणा	3.3	2	1.51	2	4.81	2
हिमाचल प्रदेश	1.18	2	0.14	2	1.32	2
जम्मू और कश्मीर
कर्नाटक	28.66	7.77	16.34	8	45	7.85
केरल	4.03	1.63	8.01	9.34	12.04	3.61
मध्य प्रदेश	192.07	28.73	74.46	31.77	266.54	29.52
महाराष्ट्र	101.6	16.96	72.68	15.2	174.63	16.18
मणिपुर	8.1	37.89	0.27	4.48	8.37	30.52
मेघालय	7.99	37.89	0.24	4.48	30.14	8.23
मिज़ोरम	1.88	37.89	0.23	4.48	2.12	20.76
नागालैंड	8.01	37.89	0.21	4.48	8.22	31.86
उड़ीसा	139.12	41.72	23.57	37.46	162.69	41.04
पंजाब	3.4	2	1.95	2	5.35	2
राजस्थान	54.41	11.09	23.44	15.42	77.86	12.11
सिक्किम	2.08	37.89	0.03	4.48	2.12	33.78
तमिलनाडू	12.46	3.68	31.61	9.64	44.07	6.61
त्रिपुरा	10.7	37.89	0.28	4.48	10.98	31.88
उत्तर प्रदेश	373.16	24.25	111.25	26.17	484.41	24.67
पश्चिमी बंगाल	137.53	21.98	22.21	8.98	159.73	18.3
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.1	3.68	0.14	9.64	0.24	5.82
चंडीगढ़	0.02	2	0.19	2	0.21	2
दादर एवं नगर हवेली	0.04	2	0.02	2	0.06	2
दमन एवं द्यू	0.03	2	0.01	2	0.04	2
लक्षद्वीप	0.01	1.63	0.02	9.34	0.03	4.59
पॉण्डिचेरी	0.13	3.68	0.7	9.64	0.83	7.72
भारत	1705.26	21.07	495.67	15.06	2200.94	19.34

(स्रोत : वार्षिक किताब 2003 इंस्टीट्यूट ऑफ अपलॉयड मैनपावर रिसर्च)

*आंकड़े 30 दिन के रोल कॉल के हिसाब से हैं।

भारत में कितने गरीब


➤ खाली पेट / भूखे	1 से 5 प्रतिशत
➤ प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर भरण-पोषण करने वाले	34 प्रतिशत
➤ कुपोषित	47 प्रतिशत
➤ उपयुक्त भोजन की अनुपलब्धता	26 प्रतिशत

वर्ष : 2001 जनगणना

स्रोत : (nac.nic.in/concept%20papers/poverty-reduction-scheme)


कृषि उत्पाद की विकास दर 1980 के अपने 3.19% के स्तर से गिर कर 1990 के दशक में केवल 1.73% रह गई।

पिछले दो दशक में कृषि उत्पाद एवं जनसंख्या विकास की दर (प्रतिशत में)




(स्रोत : आर्थिक शोध, भारत सरकार)

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य अनाज उपलब्धता (किलो में)




(स्रोत : एन.एस.एस.ओ.)

ग्रामीण इलाकों में श्रमिक भागीदारी स्तर



(स्रोत: एन.एस.एस.ओ.)


एन.एस.एस. द्वारा प्रदान किए गए बेरोजगारी के आंकड़े बेरोजगारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं। जहाँ 1993-94 में यह 5.9% थी, वहीं 1999-2000 में बढ़कर यह 7.3% हो गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में यह 5.2% से बढ़कर 7.2% हो गई।



(स्रोत : एन.एस.एस.ओ. रोजगार-बेरोजगारी रिपोर्ट 1999-2000)

एन.एस.एस. के आंकड़े दर्शाते हैं कि रोजगार विकास दर में गिरावट आई है, जहाँ यह दर 1983 से 1994 तक 2.43% थी, वहीं 1994 से 2000 के बीच यह घटकर केवल 0.98% रह गई है।

चार्ट नं. 6 ग्रामीण रोजगार विकास दर



(स्रोत : एन.एस.एस. की रोजगार एवं बेरोजगारी रिपोर्ट एवं जनगणना)

ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार विकास दर 1987 से 94 के अपने 2.03 प्रतिशत के स्तर से गिर कर 1993-2000 में केवल 0.58 प्रतिशत रह गई।

रोजगार गारंटी "स्कीम"

10. रोजगार गारंटी अधिनियम (ई.जी. ए.) और रोजगार गारंटी स्कीम (ई.जी. एस.) के बीच क्या संबंध है ?

रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक राज्य की सरकार को छह: माह के भीतर रोजगार गारंटी स्कीम तैयार करने का निर्देश देता है जिससे कि रोजगार गारंटी लागू की जा सके। अधिनियम रोजगार गारंटी को कानूनी आधारशिला प्रदान करता है वहीं स्कीम वह माध्यम है जिससे गारंटी लागू की जाती है। ध्यान दें कि अधिनियम एक राष्ट्रीय नीति है परन्तु स्कीम हर राज्य के लिए "विशिष्ट" है। हालांकि हर राज्य अपनी "रोजगार गारंटी स्कीम" बनाने के लिए स्वच्छन्द है, पर उसे (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 के शेडयूल (I) में दिये गए मूलभूत नियमों को ध्यान में रखकर स्कीम को बनाना पड़ता है। जैसे कि शेडयूल (I) यह सुनिश्चित करता है कि (ई.जी.एस.) के अंतर्गत किस प्रकार के काम किये जा सकते हैं इत्यादि।

11. इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाएगा ?

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के कार्यों की अनुमति होगी :-

1. जल संरक्षण तथा जल परिरक्षण ;
2. अकाल रोधन, वनरोपण एवं वृक्षारोपण;
3. लघु एवं छिटपुट सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें ;
4. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित

जनजातियों से संबंधित परिवारों द्वारा स्वामित्वयुक्त जमीन को या भूमि सुधार के जमीन लाभग्राहियों को अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की जमीन को सिंचाई सुविधा प्रदान करने ;

5. टैंकों की गाद निकालने सहित पारम्परिक जलाशयों का जीर्णोद्धार ;
6. भूमि विकास ;
7. बाढ़ नियन्त्रण और बचाव कार्य जिसमें जल भराव क्षेत्रों में जल-निष्कासन शामिल है ;
8. ग्रामीण सम्पर्क मार्ग ताकि सभी मौसमों में वहां पहुंचा जा सके। सड़कों के निर्माण में जहां भी जरूरी होगा नालियों को शामिल किया जा सकता है और देहाती क्षेत्रों में जल निकास के साथ नालियों को भी लिया जा सकता है।
9. अन्य कार्य जिसे राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है

(ठेकेदारों के मार्फत कार्य पूरा करवाने की इजाजत नहीं है और यह आवश्यक है कि कार्यों में अधिकाधिक मानवश्रम का इस्तेमाल किया जाए)

यह अधिनियम यह बात भी कहता है कि "प्राथमिकता दिये जाने वाले कार्यों की सूची" राज्य रोजगार गारंटी काउंसिल बनाएगा। और प्राथमिकता दिये जाने वाले कार्यों का चुनाव उनके द्वारा होने वाले स्थायी परिसम्पतियों के सञ्जन पर निर्भर करेगा।

3. क्या (ई.जी.एस.) के अंतर्गत शहरी इलाकों में भी कार्य किया जा सकता है। सैधांतिक रूप से नहीं। अधिनियम यह साफ स्पष्ट करता है कि इस स्कीम के अंतर्गत रोजगार केवल ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। (शेड्यूल I, अनुच्छेद 3)

4. क्या (ई.जी.एस.) के अंतर्गत कुछ अन्य पाबंदियाँ हैं ?

“नया काम” तभी शुरू किया जा सकता है जब उस काम को करने के लिए कम-से-कम पचास मज़दूर उपलब्ध हों और उन मज़दूरों को पहले से चल रहे काम में शामिल नहीं किया जा सके। हालांकि यह पाबंदी राज्य सरकार द्वारा “पहाड़ी इलाकों” और जंगल लगाने के कार्य से हटाई जा सकती है।

5. (ई.जी.एस.) को लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी ?

(ई.जी.एस.) को लागू करने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। अधिनियम की धारा 13 के मुताबिक स्कीम के नियोजन और लागू किए जाने का मुख्य काम पंचायत का होगा – जिला, प्रखण्ड और ग्राम स्तर पर लागू करने की मुख्य इकाई ‘प्रखण्ड’ है। हर ब्लॉक में एक परियोजना अधिकारी जो कि प्रखण्ड विकास अधिकारी के समकक्ष होगा। जिसका स्तर (बी. डी.ओ.) के बराबर होगा। उसका वेतन केन्द्र सरकार देगी और ई.जी.एस. को लागू करना उसका काम होगा। कार्यक्रम अधिकारी मध्य स्तरीय पंचायत एवं जिला समन्वयक को जवाबदेह होगा।

6. रोजगार गारंटी अधिनियम को पूरे देश में लागू करने पर कितना खर्च आएगा ? यह पैसा कहाँ से आएगा ?

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को लागू किए जाने के लिए प्रतिवर्ष 40000 करोड़ का खर्च आएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को वार्षिक बजट में 24000 करोड़ रुपये अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए मिले हैं। तथा 4000 करोड़ प्रत्येक राज्य सरकार देगी। 12000 करोड़ अन्य रोजगार स्कीमों से आएगा जो (एन.आर.ई.जी.ए.) में सम्मिलित कर दी जाएंगी। अन्य अनुमानों के अनुसार (एन.आर.ई.जी.ए.) पर सरकार को 50000 करोड़ सालाना लगाना पड़ सकता है, दूसरे शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 प्रतिशत।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर इस स्कीम के अंतर्गत 10 प्रतिशत धन राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है तो कई राज्यों में यह आर्थिक अस्थिरता ला सकती है।

स्रोत : (nac.nic.in/concept% 20 papers/poverty-reduction-scheme)

इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है केन्द्र द्वारा कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्यों को समय पर राशि हस्तांतरित करना, जिसका इस अधिनियम में ठीक से खुलासा नहीं किया गया है। केन्द्र को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि इस राशि के हस्तांतरण में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा, जिससे कार्यक्रम की निरंतरता पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम का अनुभव यही बताता है कि केन्द्र से राज्य को होने वाले राशि हस्तांतरण में हुए विलम्ब के कारण सम्पूर्ण कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा।


ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत होने वाला खर्च

1	ग्रामीण जनसंख्या (2001)	74.2 करोड़
2	गरीबी रेखा के नीचे की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (1)	26.8 % करोड़
3	गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण जनसंख्या (2)	20 करोड़
4	गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण परिवारों संख्या	4 करोड़
5	100 दिन प्रति परिवार के औसत से (व्यक्ति-दिन रोजगार पैदावार)	400 करोड़
6	प्रतिदिन का खर्च (2004-2005 के मूल्यों के स्तर पर)	100 करोड़ रुपये
7	कार्यक्रम का पूर्ण खर्च	40000 करोड़
8	भारत के जी.डी.पी. के कितना प्रतिशत (2004-2005 के हिसाब से) (3)	1.3 प्रतिशत

(स्रोत: राष्ट्रीय सलाहकार आयोग - 2004)

1. योजना आयोग (1999-2000)
2. 74.2 करोड़ का 26.8 प्रतिशत
3. जी.डी.पी. = 3,104,857 करोड़ रुपये।
4. यहाँ परिवार के सदस्यों का औसत 5 माना गया है

2005-2006 के बजट में ग्रामीण रोजगार के लिए निर्धारित राशि (करोड़ में)



(स्रोत - वार्षिक आर्थिक विवरण 2005-06, भारत सरकार)

श्रमिकों के अधिकार

1. रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को किस प्रकार आवेदन देना होगा ?

यह प्रक्रिया दो भागों में बंटी है। पहला – ग्राम पंचायत में पंजीकरण, दूसरा – काम के लिए आवेदन। पंजीकरण (5) वर्ष के लिए वैध है। परन्तु काम के लिए आवेदन पत्र जब-जब काम चाहिए, तब-तब देना होगा।

पंजीकरण प्रक्रिया का मुख्य लाभ काम की पूर्व नियोजन प्रक्रिया में होता है। अगर कोई परिवार काम के लिए आवेदन देता है तो ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह आवेदन स्वीकार कर जॉब कार्ड जारी करे। जॉब कार्ड यह निर्धारित करेगा कि मजदूरों के पास सारी जानकारी जैसे कि – उन्होंने कितने दिन काम किया, कितनी मजदूरी ली, कितना बेरोजगारी भत्ता लिया इत्यादि लिखित में होगी। और उन्हें इसके लिए सरकारी अफसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए जॉब कार्ड रखने वाले पंजीकृत वयस्क ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी (प्रखंड स्तर पर) के पास लिखित में सादे कागज पर आवेदन कर कार्य मांग सकते हैं तथा आवेदन की दिनांकित रसीद की मांग कर सकते हैं आवेदन जमा करने के 14 दिनों के भीतर अथवा जब कार्य की जरूरत हो तो आवेदक को यह रोजगार दिया जाना चाहिए।

आवेदकों को ग्राम पंचायत / कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक पत्र भेजकर 14 दिनों के

भीतर कब और कहां उन्हें कार्य करना है इस विषय में सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी एक सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए जिसमें स्थान, तिथि एवं जिन्हें रोजगार दिया गया हो उनके नाम की जानकारी दी जानी चाहिए।

2. अधिनियम में “एक परिवार” को किस प्रकार परिभाषित किया गया है ?

अधिनियम में परिवार की परिभाषा है – जिस कुटुम्ब के लोग खून, शादी या गोद लेने के माध्यम से या फिर साथ रहने, एक साथ भोजन या फिर एक राशन कार्ड का प्रयोग करने के माध्यम से जुड़े हों, (एक परिवार के) माने जाएंगे। पर इसमें एक बड़ी कठिनाई यह है कि एक संयुक्त परिवार जो कि साथ रहता है और एक ही राशन कार्ड का प्रयोग करता है उसे भी एक ही कुटुम्ब/परिवार के रूप में देखा जाएगा यह प्रक्रिया बड़े परिवारों के साथ अन्याय है क्योंकि उन्हें केवल उतना ही काम (अर्थात् 100 दिन) मिलेगा जितना कि एक छोटे परिवार को मिलेगा।

3. कामगार के भुगतान का तरीका क्या होगा ?

हर कामगार को राज्य में खेतीहर मजदूरों पर लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।

4. भुगतान का तरीका क्या होगा – दैनिक मजदूरी या उजरती दर ?

इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों अनुमत्य हैं।

विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी

60 रूपये से कम	60 रूपये से ज्यादा
असम - 46 रूपये	आंध्र प्रदेश - 80 रूपये
बिहार - 59 रूपये	गुजरात - 60 रूपये
कर्नाटक - 46 रूपये	हिमाचल प्रदेश - 60 रूपये
मध्य प्रदेश - 53 रूपये	झारखंड - 63 रूपये
महाराष्ट्र - 45 रूपये	केरल - 134 रूपये
उड़ीसा - 50 रूपये	पंजाब - 82 रूपये
तमिलनाडु - 54 रूपये	राजस्थान - 60 रूपये
उत्तर प्रदेश - 58 रूपये	पश्चिमी बंगाल - 62 रूपये
उत्तरांचल - 58 रूपये	हरियाणा - 80 रूपये
छत्तीसगढ़ - 53 रूपये	

स्रोत : राष्ट्रीय सलाहकार आयोग - 2004)

यदि मजदूरी उजरती दर आधार पर प्रदान की जाती है, तो दरों की अनुसूची इस प्रकार होगी कि एक व्यक्ति जो सात घंटों तक कार्य करता है, सामान्य रूप से न्यूनतम मजदूरी हासिल करेगा।

इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी एक विवादस्पद मुद्दा है। यह अधिनियम राज्य द्वारा दी जा रही न्यूनतम मजदूरी स्वीकार नहीं करता। बजाए उसके वह सभी राज्यों के लिए 60 रूपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी बांधने की बात करता है।

जब रोजगार गारंटी बिल संसद में प्रस्तुत हुआ तब इस विषय पर स्थायी समिति के सुझाव आए कि नेशनल रिफरेल वेज का 2/3 या राज्य द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी दर जो अधिक हो वह लागू की जाए। नेशनल रिफरेल वेज विभिन्न राज्यों में दी जा रही न्यूनतम आय का औसत है जो 66/- रूपये प्रतिदिन बनता है। उसका 2/3 49-50/- रूपये बनता है। पर दूसरी तरफ केरल जैसे राज्यों का क्या जहाँ प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 134/- रूपये है।

यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है, इस कारण सरकार की यह कोशिश रही है कि इस कार्यक्रम में दी जाने वाली मजदूरी दर कम-से-कम हो जो 60/- रूपये निर्धारित हुई है।

5. क्या भुगतान धन राशि या फिर अन्य पदार्थों के माध्यम से होगा ?

भुगतान धन राशि या फिर धन राशि एवं अन्य पदार्थों के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य पदार्थों के माध्यम से भुगतान का अर्थ है कि भुगतान अनाज से किया जाएगा, पर इसमें भी कुल भुगतान का कम-से-कम 25% भाग धन राशि द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।

6. मेहताने के भुगतान के नियम क्या होंगे ?

भुगतान हर सप्ताह होना चाहिए या फिर काम समाप्त होने के 15 दिन के भीतर। राज्य सरकार ये भी नियोजित कर सकती है कि भुगतान का हिस्सा जो धन राशि द्वारा दिया जाना है वह 'प्रतिदिन' दिया जाए।

7. अगर मजदूरी समय पर ना दिया जाए ?

ऐसे में (पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट 1936 के अंतर्गत) मजदूर मुआवजे के हकदार होंगे।

8. क्या महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग मेहताना दिया जा सकता है ?

बिल्कुल नहीं। स्त्रियां और पुरुष एक जैसे मेहताने के हकदार होंगे। किसी भी प्रकार का लिंग भेद गैर-कानूनी होगा।

9. कामगारों के लिए क्या-क्या सुविधाएं व प्रावधान हैं ?

साफ पेय जल, बच्चों के लिए छप्पर, विश्राम की अवधि तथा प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर मुहैया करवाया जाएगा। यदि कार्य स्थल पर पांच से अधिक बच्चे हैं तो एक व्यक्ति (वरीयतः किसी महिला) को बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाएगा उस व्यक्ति को स्थल पर अन्य कामगारों के अनुसार समान मजदूरी दी जाएगी।

10. इस अधिनियम हेतु आवेदन करने वाले को कहां रोजगार प्रदान किया जाएगा?

आवेदक के घर के 5 कि.मी. के अंदर। यदि रोजगार आवेदक के घर के 5 कि.मी. की परिधि से दूर प्रदान किया जाता है तो वह परिवहन व रहने के खर्च के तौर पर 10% की अतिरिक्त मजदूरी की हकदार होगा/ होगी। यदि कुछ व्यक्तियों को 5 किलोमीटर से दूर कार्य करने हेतु निर्देश दिया जाता है तो

वृद्धजनों और महिलाओं को गांव के निकट के कार्यस्थलों पर कार्य करने की तरजीह दी जाएगी।

11. अगर (ई.जी.एस.) कार्य स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होगा ?

—दुर्घटना होने पर : यदि कोई मजदूर कार्य करते समय शारीरिक तौर पर घायल हो जाता है तो वह व्यक्ति राज्य सरकार से निःशुल्क चिकित्सा उपचार हासिल करने का अधिकारी होगा।

—घायल मजदूर के अस्पताल में दाखिल होने पर, संबंधित राज्य सरकार बगैर किसी शुल्क के सम्पूर्ण चिकित्सा, दवाएं, अस्पताल स्थान मुहैया करवाएगी और घायल व्यक्ति लागू मजदूरी दर के कम-से-कम 50% के दैनिक भत्ते का भी अधिकारी होगा।

—कार्य स्थल पर दुर्घटना, के कारण पंजीकृत मजदूर की मृत्यु या स्थाई रूप से अपंग होने पर, रू. 25000/- का अनुग्रह भुगतान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट राशि, दिवंगत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी अथवा अपंग व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को देय होगी।

12. क्या इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांग लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध है ?

नहीं, जब इस अधिनियम के लिए 'ड्राफ्ट' तैयार किया गया था तब उसमें ऐसा प्रावधान था लेकिन आखिरकार वह हटा दिया गया था। हालांकि कोशिश की जा सकती है कि

उसे दुबारा इस अधिनियम में लाया जाए। इसके अंतर्गत ये नियम बनाए जा सकते हैं कि (1) पंजीकरण के समय किसी भी प्रकार की विकलांगता को रिकार्ड किया जाए। (2) विकलांग लोगों के लिए कुछ अलग प्रकार के कार्य का प्रबंध किया जा सके। (3) विकलांग लोगों को रोजगार देने के लिए (ई.जी.एस.) राशि का 3% हिस्सा चिन्हित करें। ध्यान दें कि ये सब सुझाव (पर्सन विद डिसएबिलिटी ऐक्ट) 1995 पर आधारित हैं – जो यह सुझाव देती है कि गरीबी हटाने के कार्यक्रमों में कम-से-कम 3% राशि विकलांग लोगों के कार्यक्रमों के लिए चिन्हित होनी चाहिए।

13. क्या श्रमिक इस बात का चयन कर सकते हैं कि उन्हें क्या काम दिया जाए?

नहीं, उन्हें ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिये गए काम को स्वीकार करना होगा। (शेड्यूल I, अनुच्छेद 10) हालाँकि जब ग्राम पंचायत कार्यों का चुनाव करे तो श्रमिक उसमें अपनी राय दे सकते हैं।

14. यदि काम मिलने के बाद मजदूर काम करने के लिए नहीं आता/आती है तो क्या होगा?

यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सूचित की गयी तिथि के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए नहीं आता है तो वह रोजगार भत्ते के लिए अधिकृत नहीं होगा/होगी।

बेरोजगारी भत्ता

1. (ई.जी.एस.) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी कौन होगा ?

यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग या वह तिथि जब से उन्होंने कार्य की मांगी की है (आवेदन की प्रस्तुति की तिथि से 15 दिनों के अंदर) रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो उन्हें निर्दिष्ट नियम व शर्तों के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवाया जाएगा।

2. बेरोजगारी भत्ते की दर क्या होगी ?

उस वित्तीय वर्ष जिसके आधीन रोजगार के दिवसों की पारिवारिक हकदारी है, के दौरान बेरोजगारी भत्ते की दर पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 25% होगी और उसके बाद मजदूरी का 50% होगी।

3. बेरोजगारी भत्ता कितने समय में मिल जाना चाहिए ?

जिस दिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाना तय हुआ हो उस दिन से लेकर आने वाले 15 दिनों के भीतर भत्ता अवश्य दे दिया जाना चाहिए।

4. बेरोजगार भत्ते का क्या महत्व है?

बेरोजगारी भत्ते के कई योगदान हैं – पहला, वह उन लोगों को सीमित रूप से बेरोजगारी सहायता देता है जो लोग काम का इंतजार कर रहे हों। दूसरा, यह ये संकेत देता है कि सरकार योग्य पात्र आवेदकों को काम देने में असफल हो रही है। और तीसरा यह राज्य सरकार के ऊपर जुर्माने की तरह होता है और यह जुर्माना राज्य सरकार पर दबाव बनाने के काम आता है कि वह आवेदकों को

काम दिलवाए क्योंकि रोजगार के खर्चे की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है जबकि बेरोजगारी भत्ते का खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। पर इस दबाव को बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि बेरोजगारी भत्ता वास्तव में दिया जाए न कि केवल कागजों में (जैसा कि महाराष्ट्र ई.जी.एस.) के किस्से में हुआ और जो कि महाराष्ट्र रोजगार स्कीम के धराशायी होने का मुख्य कारण रहा है।

5. कब एक मजदूर जिसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, मिलना बंद हो सकता है ?

बेरोजगारी भत्ता इन कारणों से बंद किया जा सकता है—

- (1) जब मजदूर को ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा काम पर आने को कहा जाए
- (2) जितने समय के लिए रोजगार मांगा गया था वह समय समाप्त होने पर
- (3) जब परिवार ने अपना 100 दिन काम करने का 'कोटा' समाप्त कर लिया हो (आर्थिक वर्ष के भीतर)
- (4) जब परिवार का मजदूरी भुगतान एवं बेरोजगारी भत्ता मिलाकर 100 दिन के मेहताने के बराबर हो जाए तब (आर्थिक वर्ष के भीतर)

जनसंख्या एवं श्रमिक शक्ति में अनुमानित वृद्धि (प्रतिशत में)

	2002-2007	2007-2012	2012-2017
1	2	3	4
जनसंख्या			
सभी आयु वर्ग	1.63	1.41	1.20
15-59 वर्ष	2.41	2.08	1.70
15 +	2.57	2.26	1.93
श्रमिक शक्ति			
15-59 वर्ष	2.42	2.15	1.78
15 +	2.51	2.25	1.92

स्रोत: (ड्राफ्ट 10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, योजना आयोग)

अन्य रोजगार कार्यक्रम

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980-89)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (1999-2002)
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983-89)
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001)
- जवाहर रोजगार योजना (1989-99)
- राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम (2004)
- रोजगार सुरक्षा स्कीम (1993-99)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (2005)
- जवाहर ग्राम समर्पद्धि योजना

मुख्य रोजगार परियोजनाएँ

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यह योजना 25 सितंबर, 2001 में लागू हुई इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय के साधन प्रदान करना जिससे कि उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम का दूसरा मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में स्थायी, आर्थिक एवं सामाजिक सम्पत्ति का निर्माण। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में मिलकर वहन किया गया। संघ क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई एवं राज्यों/संघ क्षेत्रों को मुफ्त अनाज भी दिया गया। इस कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गरीब व्यक्ति जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, उठा सकते थे।

2. राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम इस कार्यक्रम का उद्देश्य था देश के 150 चिन्हित सबसे पिछड़े जिलों को सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत मिल रहे लाभ के अतिरिक्त थोड़ी और आर्थिक सहायता प्रदान करना। जिससे इन जिलों में रह रहे गरीबों को अतिरिक्त आर्थिक मदद और खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके, साथ ही चल रहे स्थायी आर्थिक एवं सामाजिक सम्पत्ति निर्माण के कार्यक्रमों को और सुदृढ़ किया जा सके। इन 150 पिछड़े जिलों का चुनाव योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय से विचार विमर्श द्वारा हुआ। यह कार्यक्रम 100

प्रतिशत केन्द्र द्वारा चलाया जा रहा था। राज्यों को अनाज भी मुफ्त ही प्रदान किया गया। हालांकि उनके लाने-ले जाने पर व्यय एवं कर राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना था।

3. स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगारियों को निरंतर आय प्रदान कर गरीबी रेखा के उपर लाना था। और यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया गया। सोच यह थी कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तथा समस्याओं के निदान और संसाधनों के प्रयोग के विषय में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी अन्ततः उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होगी।

रोजगार कार्यक्रमों के अनुभव

1. जागरूकता का अभाव
2. सामूहिक भागीदारी का अभाव
3. नियोजन की कमी
4. झूठे मस्टर रोल की सूचनाएं
5. अधिनियम में मना होने के बावजूद टेकेदारों का प्रयोग
6. बनाई गई सम्पत्ति की गुणवत्ता निर्धारित स्तर से नीचे
7. मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण की कमजोर प्रणाली
8. आंकड़ों का अभाव
9. कार्यान्वयन संस्थाओं की मूलभूत अक्षमताएं
10. विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों का एक साथ चलाया जाना
11. सामाजिक जवाबदेही का अभाव

अधिनियम में प्रमुख जिम्मेदारियाँ

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बहुत जटिल है तथा इसमें बहुत सारे कारक हैं। जिनमें प्रमुख हैं :

राज्य स्तरीय समिति, जिला समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, मध्यस्तरीय पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। इन विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारियाँ बँटी होती हैं परन्तु अधिनियम के द्वारा यह आसानी से समझ नहीं आता। यहां चीजों को सरलता से समझाने का एक प्रयास किया गया है।

1. (ई.जी.एस.) के अंतर्गत “कार्यक्रम अधिकारी” की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं ?

“कार्यक्रम अधिकारी” ब्लॉक स्तर पर ई.जी.एस के समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

ब्लाक स्तर पर मुख्य कमियों की जिम्मेदारियाँ:

i). कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियाँ

1. यह निर्धारित करना कि योग्य पात्र आवेदक को अधिनियम के मुताबिक अकुशल शारीरिक श्रम का रोजगार आवेदन देने के 15 दिन के भीतर मिले।
2. ब्लाक के लिए ग्राम सभा द्वारा दी गई दरखास्तों पर आधारित एक कार्यक्रम का नक्शा तैयार कराना।
3. ब्लाक स्तर पर काम की जरूरत और उपलब्धता में सामंजस्य स्थापित करना।
4. पात्र आवेदक से लिखित आवेदन स्वीकार कर तिथियुक्त पावती जारी करना।

(यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के साथ ब्लाक अधिकारी मिलकर उठाता है)

5. आवेदकों को काम पर आने के लिए सूचित करना। (यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के साथ ब्लाक अधिकारी मिलकर उठाता है)
6. सभी श्रमिकों को मजदूरी पूरी एवं समय पर दी जा रही है इस बात का निर्धारण करना।
7. बेरोजगारी भत्ता पास कर उसे उसके अधिकारी श्रमिकों में बंटवाना
8. ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम पारित करना।
9. ग्राम पंचायत तथा अन्य लागू करने वाली इकाइयों के काम का लगातार मूल्यांकन करना।
10. ग्राम सभा द्वारा किये जा रहे कार्य का सामाजिक अंकेक्षण करना।
11. स्कीम के लागू होने में आने वाली किसी भी शिकायत को जल्दी से जल्दी (सात दिन के भीतर) निपटाना।
12. ब्लाक स्तर पर (ई.जी.एस.) की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
13. अधिनियम के अंतर्गत “मध्यस्तरीय पंचायत” को निर्धारित किये गये कार्यक्रमों को पूरा करने में सहयोग दें। (ध्यान दें :- राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम अधिकारी का कुछ अथवा सम्पूर्ण कार्यभार ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है।)

ii). मध्यस्तरीय पंचायत की जिम्मेदारियां

1. (ई.जी.एस.) के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव कार्यक्रम अधिकारी को भेजना।
2. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पारित किए गए कार्यक्रमों को लागू करना।
3. ब्लाक प्लान को पारित कर उसे जिला पंचायत के सुझावों के लिए आगे भेजना।
4. ब्लाक स्तर तथा ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमों पर नज़र रखना।
5. तथा वे सब कार्य करना जो कि राज्य समिति द्वारा दिये जाएं।

iii). ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां

1. ग्राम सभा के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, एक विकास की योजना तैयार करना और स्कीम के अंतर्गत लागू किये जाने योग्य प्रस्तावों की एक सूची तैयार रखना।
2. योग्य आवेदकों का आवेदन ले उनका पंजीकरण कर उन्हें जॉब कार्ड देना।
3. काम के लिए लिखित आवेदन प्राप्त कर तारीखयुक्त पावती देना।
4. आवेदकों को एक पत्र भेज 15 दिनों के भीतर कब और कहां कार्य करना है इस विषय में सूचित करना एवं ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के सूचना बोर्ड पर एक सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करना।
5. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पारित कार्यक्रमों को लागू करना।
6. सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को जरूरी दस्तावेज़ उपलब्ध कराना।
7. स्कीम को लागू करने के कार्यक्रम संबंधी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

iv). ग्राम सभा की जिम्मेदारियां

1. ग्राम पंचायत को 'कार्यक्रम' से संबंधित प्रस्ताव देना।
2. ग्राम पंचायत में कार्यक्रम के लागू होने की प्रक्रिया पर नज़र रखना।
3. ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे सभी कार्यक्रमों का निरंतर सामाजिक अंकेक्षण करना।

2. काम को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं से क्या अर्थ है ?

कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं से अर्थ है ऐसी कोई भी संस्था जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा (ई.जी.एस.) के अंतर्गत कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी दी गई हो। इस 'स्कीम' के अंतर्गत मुख्य कार्यान्वित संस्था है (ग्राम पंचायत) अगर राशि के बंटवारे के हिसाब से देखा जाए तो 50% कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित होना है। कार्यक्रम को लागू कराने वाली अन्य एजेन्सियां हैं – मध्यस्तरीय पंचायतें, जिला पंचायतें और लाइन डिपार्टमेंट जैसे कि – वन विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि। रोजगार गारंटी अधिनियम गैर सरकारी संस्थाओं को भी काम लागू करने वाली संस्था के रूप में कार्य करने का अवसर देता है।

3. क्या ठेकेदार भी काम को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सीज के रूप में कार्य कर सकते हैं ?

नहीं, अधिनियम यह स्पष्ट रूप से कहता है कि इस स्कीम के अंतर्गत काम को लागू किये जाने के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टरों या ठेकेदारों के प्रयोग पर निषेध है।

4. रोजगार गारंटी स्कीम में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है ?

ग्राम पंचायत का काम है काम के लिए आवेदन लेना, पंजीकरण करना, जॉब कार्ड देना, आवेदन पत्रों को कार्यक्रम अधिकारी को भेजना और साथ ही आवेदकों को समय से सूचित करना कि उन्हें काम के लिए कब और कहां आना है। हालांकि आवेदन सीधे कार्यक्रम अधिकारी के पास भी जमा करवाए जा सकते हैं परन्तु पहले ग्राम पंचायत में ही आवेदन जमा करवाए जाएं, ऐसा प्रक्रिया के हिसाब से उचित माना जाता है।

जैसा कि पहले बताया गया है कि ग्राम पंचायत काम को कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था भी है अतः उसका कार्य है कि वह गांव के लिए 'विकास की योजना' तैयार करे, जिसमें उसे ग्राम सभा द्वारा दिये गए सुझावों को ध्यान में रखना होगा। और ग्राम पंचायत को इन कार्यक्रमों को कार्यक्रम अधिकारी की हरी झंडी मिलने पर लागू भी करना होगा। साथ ही ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी की सामाजिक अंकेक्षण के लिए वह सारे दस्तावेज ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करे। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के ठीक से मूल्यांकन की जिम्मेदारी ग्राम सभा और कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

5. ग्राम सभा की ई.जी.एस. के अंतर्गत क्या भूमिका है ?

ग्राम सभा का यह काम है कि वह योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग ले और साथ ही ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों पर नजर रखे। ग्राम सभा मुख्यतः चर्चाएं कर यह निर्धारित करेगी कि कौन से कार्यों को किस क्रम में ग्राम पंचायत को करना चाहिए और यह भी कि कार्यों के कार्यान्वयन में सारे नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

6. ब्लॉक स्तर के ऊपर यानि जिला और राज्य स्तर पर क्या होता है ?

जिला स्तर पर जिला समन्वयक की यह जिम्मेदारी


है कि वह ई.जी.एस. की देख रेख करे। जिला समन्वयक का काम यह भी है कि वह कार्यक्रम अधिकारियों का भी समन्वयन करे साथ ही आगामी वर्ष के लिए 'श्रमिक बजट' दिसंबर के महीने में तैयार करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी।

जिला समन्वयक की अन्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं –

- समय-समय पर जिले में किए जा रहे कार्यों पर नज़र रखना। ऐसे कार्यों को मंजूरी देना जो कि कार्यक्रम अधिकारी के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।
- जिला पंचायत की सहायता करना एवं राज्य समिति को प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- राज्य स्तर पर (ई.जी.एस.) के काम को राज्य रोजगार गारंटी समिति मॉनिटर करेगी (जिसे 'राज्य समिति भी कहा जा सकता है)
- राज्य समिति राज्य सरकार के सलाहकार के रूप में काम करेगी। जैसे कि राज्य समिति राज्य सरकार को भुगतान दर, बेरोज़गार भत्ते की दर तथा मूल्यांकन के लिए किए गए प्रबंधों के विषयों पर सुझाव देगी। और क्रम अनुसार किये जाने वाले कार्यक्रमों की सूची तैयार करना तथा राज्य विधायिका के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना भी राज्य समिति का कार्य होगा।

अन्ततः यह अधिनियम एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी समिति के गठन का आदेश भी देता है। उसके कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, परन्तु वे राज्य समिति से मिलते-जुलते ही होंगे। राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखेगी, साथ ही केन्द्र सरकार को इस विषय में सुझाव देगी और संसद के समक्ष इसकी वार्षिक रिपोर्ट रखेगी।

एन. आर. ई. जी. ए. का कार्यान्वयन ढाँचा



पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जिलों की सूची

एन.आर.ई.जी.ए. 2005 संबंधी ड्यूटी चार्ट

कार्यक्रम	गतिविधि	केन्द्र	राज्य	जिम्मेदारी					
				जिला		ब्लॉक		गांव	
				जिला पंचायत	जिला कार्यक्रम समन्वयक	मध्य स्तरीय पंचायत	कार्यक्रम अधिकारी	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा
नीति एवं मानक निर्माण	मुख्य नियम निर्माण	✓							
	कार्यक्रम के अनतर्गत आने वाले जिलों की सूचना देना	✓							
	राज्य द्वारा स्कीम निर्माण		✓						
	राज्य के नियम एवं कार्यान्वयन के निर्देश		✓						
	जिला कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति		✓						
	ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति		✓						
	कार्यक्रम को मापने के नियम		✓						
	जिला स्तर पर मूल्य निर्माण		✓						
	आय निर्धारण		✓						
योजना बनाना	मांगों को संगठित करना		✓		✓		✓	✓	✓
	मांगों का आंकलन							✓	✓
	गतिविधि चुनाव							✓	✓
	वार्षिक योजना का निर्माण			✓	✓	✓	✓	✓	
	वार्षिक योजना की स्वीकृति			✓	✓	✓	✓		
	श्रम भुगतान बजट का निर्माण				✓				
संचार एवं प्रचार	संचार नीति	✓	✓						
	स्थानीय भाषा में संचार एवं प्रचार		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
आर्थिक प्रबंधन	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष का गठन	✓							
	राज्य रोजगार गारंटी कोष का गठन		✓		✓				
	एन.आर.ई.जी. स्कीम के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बैंक में खाते खुलवाना		✓		✓		✓		
प्रशिक्षण सूचना	राज्य स्तरीय कर्मी	✓							
	राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों एवं पंचायतों तथा हितभागियों का प्रशिक्षण		✓						
	सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण		✓						
	प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना		✓						
	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण		✓						
	पंचायतों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना		✓						

कार्य	आवेदन का संग्रह							1.	
	आवेदन का पंजीकरण							2.	
	आवेदन का पंजीकरण एवं जांच							3. 4.	
	जॉब कार्ड जारी करना							5.	
	रोजगार आवेदन बही का वार्षिक अपडेशन							6. 7.	
	कार्यान्वयन	अनुमानित खर्च को तैयार करना			8.		9.		
		कार्यान्वित करने वाली संस्था का चयन			10.		11.		
संस्थाओं को काम का आवंटन				12.		13.			
काम के लिए आवेदन								14.	
रोजगार का प्रारंभ								15. 16.	
मजदूरी भुगतान	मजदूरी का निर्धारण		18.						
	मजदूरी दर को प्रचारित करना		19.	20.	21.	22.	23.	24. 25.	
	मजदूरी दर को प्रदर्शित करना						26.	27.	
	मजदूरी का भुगतान						28.	29.	
काम	मापने के तरीकों का गठन		30.						
	ज़िला स्तर पर मजदूरी दर निर्धारित करना		31.						
	उपरोक्त दर को प्रचारित करना		32.		33.		34.	35.	
सामाजिक अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण करना							1.	
	सामाजिक अंकेक्षण को कार्यान्वयन के सभी चरणों में सम्मिलित करना		2.						
	कार्य पर नजर रखने के लिए स्थानीय निगरानी समिति						3.	4. 5.	
	स्थानीय लाभार्थी समिति							6.	
	पंजीकरण, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता तथा सही मजदूरी दिया जाना लगातार मॉनिटरिंग		7.	8.	9.	10.	11.	12.	
समस्या निदान	कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ शिकायत				13.				
	ग्राम पंचायत के खिलाफ शिकायत						14.		
	अनियमितताओं के विरुद्ध कारवाई		15.						
	समस्या निराकरण के लिए हैल्पलाइन		16.	17.	18.	19.	20.		
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	वार्षिक आर्थिक एवं भौतिक अंकेक्षण		21.						
	ज़िला स्तर पर अंकेक्षण			22.	23.				
मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन	राष्ट्रीय मॉनिटरिंग कार्यप्रणाली का गठन	24.							
	स्थानीय निगरानी समिति की रिपोर्ट							25. 26.	
	काम के कार्यान्वयन पर सामाजिक मूल्यांकन एवं शोध	27.	28.						

(स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय वेबसाइट, 2006)

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

6. क्या (ई.जी.एस.) में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ बचाव शामिल किए गए हैं ?

हां, इस अधिनियम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि सभी मजदूरों को जॉब कार्ड दिए गए हैं, मेहताना सीधा काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में ही दिया जाएगा और ऐसा पहले से निश्चित तारीख पर गांव के किसी व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही सारे जरूरी दस्तावेजों को सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। यहां सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लेख करना भी उचित होगा क्योंकि सूचना के अधिकार का अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक-दूसरे के पूरक हैं। (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियम इसके ड्राफ्ट के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रावधान है जो (आखिरी समय पर डाला गया था) और वह काफी खतरनाक है।

2. भ्रष्टाचार के विरुद्ध वह कौनसा प्रावधान है ?

यह प्रावधान कहता है कि अगर केन्द्र सरकार को ऐसी शिकायत मिलती है कि दी गई राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा और अगर इस शिकायत से केन्द्र संतुष्ट हो जाता है, तो वह इस स्कीम के अंतर्गत दी जा रही राशि पर रोक लगा सकता है। अगर पहली नजर में देखें तो यह प्रावधान भ्रष्टाचार से लड़ने में सशक्त एवं उपयोगी लगता है। परन्तु वास्तव में यह प्रावधान त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवहारिक है

और इसका गलत प्रयोग भी किया जा सकता है। मूलभूत परेशानी यह है कि यह भ्रष्टाचार करने वालों के बजाय भ्रष्टाचार के शिकार लोगों को चोट पहुंचाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार होने के मामले में यह प्रावधान 'स्कीम' के अंतर्गत दी जा रही राशि पर रोक लगाता है जिससे अन्ततः निर्दोष ग्रामीण मजदूर ही कठिनाई में आएंगे।

साथ ही यह प्रावधान केन्द्रीय सरकार को भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों के अभाव में भी अनुदान पर रोक लगाने की शक्ति देता है। इसकी इस कमजोरी का केन्द्र एवं राज्य सरकार के झगड़े में गलत उपयोग कर, इस स्कीम को चुनिंदा इलाकों में बंद करवाया जा सकता है।

इस कमजोर और अव्यवहारिक प्रावधान के बजाय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है कि गांव के लोगों को ही, हो रहे कार्यों पर नजर रखने को कहा जाए और भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर जल्द-से-जल्द दोषियों पर कार्यवाही की जाए।

3. ये अधिनियम जनता की (सरकारी खातों और किताबों) तक पहुंच के विषय में क्या निर्देश देता है ?

इसके लिए अधिनियम में 'तीन प्रबंध' हैं। पहला-स्कीम से जुड़े सभी खाते एवं किताबें सार्वजनिक किए जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति फीस जमा करवा इन रिकार्डों की प्रति प्राप्त कर सकता है। दूसरा-मस्टर रोल की प्रति जांच के लिए ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए स्कीम के अंतर्गत तय फीस जमा करवानी होगी। तीसरा-ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के समक्ष सामाजिक अंकेक्षण के लिए

सारी किताबें, खाते इत्यादि उपलब्ध कराने होंगे।

यहां मुख्य परेशानी यह है कि जरूरत के दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के लिए कितनी फीस ली जाएगी इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा ग्राम पंचायत के दफ्तर में मस्टर रोल का खुलासा होना बाध्य नहीं है, और यही इस अधिनियम की सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि पैसे की हेराफेरी के लिए मस्टर रोल में धांधलेबाजी करना सबसे प्रचलित तरीका है। पर इन सब दस्तावेजों की जानकारी 'सूचना के अधिकार अधिनियम 2005' के अंतर्गत पाई जा सकती है। इस अधिनियम के प्रावधान (एन.आर.ई.जी.ए. 2005) के पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।

जैसे कि – (सूचना के अधिकार – 2005 अधिनियम के अंतर्गत, सरकारी दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की फीस सुनिश्चित है, साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी एजेन्सियाँ मांगे जाने पर सूचना का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं (केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़) सबसे जरूरी बात अगर सरकारी अफसर ऐसा नहीं करते तो वे सख्त जुर्माना देने के लिए बाध्य होंगे।

4. इस स्कीम में होने वाला धन निवेश केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार बांटा जाएगा ?

केन्द्र सरकार को श्रमिकों की मजदूरी और सामान पर होने वाले 3/4 खर्च को ढोना होगा जबकि राज्य सरकार को सामान पर होने वाले 1/4 खर्च और बेरोज़गार भत्ते का

खर्च उठाना होगा। और अगर मजदूर और सामान का अनुपात 60:40 (जो इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे कम है) होगा तो राज्य सरकार को मजदूरी का 10 प्रतिशत हिस्सा तथा बेरोज़गार भत्ता देना होगा

5. अधिकतर राज्य सरकारों के पास संसाधनों का अभाव है तो वे ई.जी.एस. का भार किस प्रकार उठाएंगी ?

इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को लगभग पूरे खर्च का 10% देना होगा। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा चलाई जा रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाओं का 25% भार उठा रही हैं ; ये कार्यक्रम (ई.जी.एस.) में सम्मिलित कर दिये जाएंगे। राज्य सरकार के लिए (ई.जी.एस.) का अलग से खर्च कम ही होगा। और अगर इससे होने वाले विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक फायदों पर नज़र डालें तो यह एक अच्छा निवेश होगा।

6. क्या ई.जी.एस. पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू नहीं होनी चाहिए ?

कुछ राज्यों में शायद ऐसा करना संभव हो। परन्तु अधिकतर राज्यों में ऐसा करने से पूर्व बहुत तैयारी एवं समय की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस अधिनियम में ग्राम पंचायत के बजाय ब्लॉक को स्कीम कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी के रूप में चुना गया है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि गांव स्तर पर काम की मांग और उसकी उपलब्धता के बीच सामंजस्य बिठना कठिन हो जाता है। यह सामंजस्य ब्लॉक स्तर पर थोड़ी आसानी से बिठाया जा सकता है। हालांकि यह अधिनियम कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियां

ग्राम पंचायत को देने के विषय पर लचीला है।

7. क्या महिलाओं को (ई.जी.एस.) स्कीम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने का सही मौका मिलेगा ?

यह अधिनियम कहता है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि महिलाएं इस स्कीम की कम-से-कम 1/3 लाभार्थी बनें। यहां यह बात साफ नहीं है कि जिन स्थानों पर आवेदकों में महिलाओं का प्रतिशत एक तिहाई (1/3) से कम होगा वहां क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में कोशिश की जानी चाहिए कि महिलाओं को इस विषय पर जागृत कर उन्हें आगे आने को कहा जाए और आवेदन पत्र इत्यादि भरने में भी उनकी सहायता की जाए।

8. अगर जिम्मेदार अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत अपना काम ठीक से नहीं करते तो ?

हालांकि ऐसी स्थिति में गैरजिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने का प्रबंध होना चाहिए – (जैसे कि अगर वे आवेदन स्वीकार करने में आनाकानी करें, या समय पर मजदूरी न दें या बेरोजगारी भत्ता न दें) परन्तु यह अधिनियम इस दृष्टि से बहुत कमजोर है। यह कहता है कि गैर जिम्मेदाराना आचरण के लिए अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा एक हजार तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही कोशिश की जा सकती है कि राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वय के लिए जो नियम बनें वे इस विषय पर थोड़ा कड़ा रूख लें।

9. क्या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 राज्यों को अपने रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाने एवं लागू करने का अवसर देगा ?

हां, राज्य सरकारों को अपने रोजगार गारंटी अधिनियम बनाने की पूरी स्वच्छन्दता होगी पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि (1) उनका ई.जी.एस. अधिनियम राष्ट्रीय ई.जी.एस. अधिनियम के अनुरूप है। (2) साथ ही ये ध्यान भी रखना होगा कि नया अधिनियम मजदूरों के अधिकारों को कम नहीं कर सकता।

ऑनलाईन मॉनिटरिंग

(एन.आर.ई.जी.ए.) के बेहतर क्रियान्वयन, प्रबंधन और मॉनिटरिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी ऑनलाईन मॉनिटरिंग की सुविधा का गठन किया है।

इस सुविधा के अंतर्गत नागरिक निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- चल रहे काम
- मस्टर रोल
- रोजगार संबंधी बारीकियाँ
- बनाई गई संपत्ति
- कार्यक्रम के प्रभाव
- (सामाजिक अंकेक्षण) की बारीकियाँ

साथ ही वे इस अधिनियम से संबंधित अन्य जानकारी जैसे – सरकारी निर्देश, रोजगार के लिए कितने आवेदन आए, कितने जॉब कार्ड बांटे गये तथा कितने लोगों को रोजगार दिया गया, बही, स्थायी सम्पत्ति बही, मस्टररोल बही इत्यादि पर भी जानकारी ले सकते हैं।

(स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय वेबसाईट, 2008)

अप्रैल 2006 एन.आर.ई.जी.ए. प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य	जिला	पंजीकृत परिवार	कितने परिवारों को जॉब कार्ड बांटे गए	दी गई राशि (2006-07) लाख रुपये	रोजगार के लिए आवेदन	कितनों को रोजगार दिया गया	चालू कार्य
1	आंध्र प्रदेश	13	3877669	3877669	20000	1128000	571016	12014
2	अरुणाचल प्रदेश	1			272.85			
3	आसाम	7			13970.845			
4	बिहार	23	1385852	592155	40503.38	165722	1065367	1655
5	छत्तीसगढ़	11	1460999	1258456	17321.72	335526	335526	6572
6	गुजरात	6	540761	389772	4113.94	30909	27904	333
7	हरियाणा	2	47250	22674	913.39	6602	6602	79
8	हिमाचल प्रदेश	2			683.64			
9	जम्मू और कश्मीर	3	169038	65531	986.365	4127	4127	283
10	झारखंड	20	1766005	1150304	37618.59	496725	467832	9451
11	कर्नाटक	5	457409	315412	6329.69	148875	42724	551
12	केरल	2	225133		2179.51			
13	मध्य प्रदेश	18	4033166	3675584	35000	1666665	1206067	14321
14	महाराष्ट्र	12	2335602	288921	17961.645	44310	44310	4735
15	मणिपुर	1			570.89			
16	मेघालय	2			2064.68			
17	मिजोरम	2			298.9			
18	नागालैण्ड	1			430.11			
19	उड़ीसा	19	2400560	1602199	31516.56	1281759	1214590	19577
20	पंजाब	1	37870	33375	755.75		19339	
21	राजस्थान	6	1337061	1265942	20000	319828	294657	3070
22	सिक्किम	1			451.5			
23	तमिलनाडु	6	958980	581360	9889.21	140742	51883	678
24	त्रिपुरा	1			1456.66			
25	उत्तर प्रदेश	22	1062772	216462	1910.602	12439		
26	उत्तरांचल	3	281016	141978	33498.69	6206	6206	1739
27	पश्चिमी बंगाल	10	2000000	600000	18358.84			
	कुल	200	24377143	16077794	319057.957	7280235	5358150	75058

(स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय वेबसाईट, 2006)
 (रिक्त स्थान दर्शाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गई)

रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) को सही ढंग से लागू करने में "सूचना के अधिकार" का अधिनियम (2005) किस प्रकार सहायक हो सकता है ?

भारत के नीति-निर्माताओं के समक्ष शायद सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण विकास की है। ग्रामीण विकास के अनेकों कार्यक्रम चलाने और उनमें अरबों रूपय के निवेश के बावजूद, आज भी ग्रामीण भारत एक उदासीन स्थिति में नज़र आता है। जिसके ज्वलन्त उदाहरण हैं हमारे गांवों में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बच्चों और माताओं में बढ़ता कुपोषण और शिशु मृत्यु दर, पीने के पानी और बिजली का अभाव इत्यादि। और ग्रामीण विकास में नाकामी का श्रेय नीति-निर्माण में त्रुटियों को उतना नहीं जाता जितना कि उन नीतियों के असफल कार्यान्वयन को जाता है।

समस्या का विषय यह है कि लोगों को अक्सर "लागू स्कीम/परियोजनाओं" के विषय में तथा उनके कार्यान्वयन में हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में कोई जानकारी ही नहीं होती। और इसी कठिनाई से ऊबरने में 'सूचना के अधिकार' का अधिनियम हमारा सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। इस अधिनियम की सहायता से आम जनता में विकास से जुड़ी विभिन्न स्कीमों के विषय में जानकारी फैलाई जा सकती है तथा उनके कार्यान्वयन में खुलापन और पारदर्शिता लाई जा सकती है। इससे नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन

दोनों ही प्रक्रियों में जनता का मत एवं उसकी भागीदारी निर्धारित की जा सकती है।

संसद ने सूचना के अधिकार का कानून मई 2005 में पास कर दिया था। व्यवहारिक स्तर पर अक्टूबर माह से नागरिक इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले यह अधिकार कुछ राज्यों तक ही सीमित था व इनमें से अनेक राज्यों में यह कानून काफी कमजोर था। अब अपेक्षाकृत मजबूत कानून पूरे देश के लिए उपलब्ध हो गया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं व कार्यों के सन्दर्भ में सूचना के अधिकार का व्यवहारिक महत्व यह है कि अब कानूनी तौर पर इन योजनाओं व कार्यों संबंधी जानकारी को खुला करना व सबके सामने रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारी किसी गांववासी को चाहिए उसको भी आवेदन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न दस्तावेजों जैसे बिल, वाउचर, मस्टर रोल आदि का निरीक्षण किया जा सकता है व इनकी फोटोकॉपी भी प्राप्त की जा सकती हैं। अभी जो कार्य चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है व पिछले कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। लिस्ट इत्यादि प्राप्त होने के पश्चात, जिन लाभार्थियों के नाम, सूची में हैं उनसे पूछताछ कर यह जानकारी ली जा सकती है कि -

1. क्या उन्हें वास्तव में काम दिया गया है ?
2. और अगर दिया गया है तो क्या उन्हें उतनी मज़दूरी दी गई जितनी

कि सरकारी खातों में चढ़ाई गयी है।

अगर पूछताछ करने पर सरकारी खातों और लाभार्थियों की बातों में तालमेल नहीं बैठता तो जानकारी की मांग रखने वालों को चाहिए कि वे इस धांधलेबाजी के मुद्दे को सरकारी अधिकारियों के समक्ष रखें ताकि इस मामले से जुड़े दोषियों को सज़ा दी जा सके।

साथ ही ऐसे मामलों में "जन सुनवाई" का सहारा भी लिया जा सकता है। जहां आम लोग ही सहभागी और नयायमंडली भी होंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया में बातचीत खुले माहौल में होती है और लाभार्थियों की बात की प्रमाणिकता को पारदर्शी ढंग से परखा जाता है।

अगर ये सब होने के बावजूद भी दोषियों के खिलाफ कारवाई नहीं की जाती तो इस बार सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत एक और आवेदन फाइल किया जा सकता है यह जानने के लिए कि फाइल की गई शिकायत की अरज़ी कहां तक पहुंची है और उस पर क्या निर्णय लिया जा रहा है ?

इस बार सरकारी अधिकारी जवाब देने के लिए मज़बूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर एक निश्चित समय सीमा के बाद उनकी पगार काटी जाएगी। जैसे कि दिल्ली सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत यदि जिम्मेदार सरकारी अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता तो उसकी पगार काटी जाएगी।

अगर सरकारी अधिकारी फिर भी आनाकानी करते हैं तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाना चाहिए।

इस आवेदन में आप इस प्रकार के प्रश्नों को रख सकते हैं

1. कृप्या बताएं कि मेरे आवेदन पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?
2. कृप्या मुझे उन अधिकारियों के नाम और उपाधि की जानकारी दीजिए जिनके पास मेरा आवेदन चिन्हित अवधि में पड़ा हुआ था। कृप्या ये अवश्य बताएं कि कितनी अवधि तक मेरा आवेदन किस अधिकारी के पास था और उक्त अवधि में उसने उस पर क्या निर्णय लिया।
3. आपके नियमों के मुताबिक इस प्रकार के मामले कितने दिनों में निपटा लिए जाने चाहिए। कृप्या मुझे उन नियमों की एक प्रति भी उपलब्ध कराएं।
4. कृप्या मुझे चिन्हित अधिकारियों के आचरण नियमों की सूची भी जारी करें। क्या ये अधिकारी उन आचरण नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए गए हैं ?
5. इन अधिकारियों के खिलाफ इन नियमों के उल्लंघन के लिए एवं जनता को मानसिक पीड़ा देने के लिए क्या कारवाई की जा सकती है ?
6. आप मेरी शिकायत पर कब तक निर्णय लेंगे ?

दूसरा बड़ा चिन्ता का मुद्दा है, जिस प्रकार इन रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की स्कीमों को लागू करने में किया जाने वाला पक्षपात ।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों का चुनाव करते समय ग्राम सभा की मीटिंग सही ढंग से नहीं की जाती और अगर मीटिंग होती भी है तो उसमें केवल चन्द सदस्य उपस्थित होते हैं। कई बार स्वयंसेवी समूह केवल कागज पर ही मौजूद होते हैं। और इन समूहों के नाम पे केवल प्रधान के निकट संबंधी या श्वास लोग ही इन सब स्कीमों के लाभ उठा लेते हैं। या तो आम जनता को इनके विषय में कोई ज्ञान नहीं होता या फिर उन्हें जो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है वह भी केवल घूस देने के पश्चात्।

कार्य प्रणाली को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए यह अनिवार्य है कि ग्रामीण स्तर पर इन स्कीमों के अंतर्गत हो रहे काम के पिछले कुछ वर्षों के रिकार्ड और खातों को 'जनता के अधिकार' अधिनियम का प्रयोग कर सामाजिक अंकक्षण के लिए निकलवाया जाए।

काम की जांच कार्य स्थल पर जा कर भी की जा सकती है यह देखने के लिए कि :

1. स्थायी परिसम्पत्ति मौजूद है या नहीं
2. और अगर है तो किये गए काम का उत्तमता सही है या नहीं।

साथ ही आम जनता का सरकारी खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए और रोजगार/गरीबी उन्मूलन इत्यादि की स्कीम के अंतर्गत उनकी ये मांगें पूरी होनी चाहिए,

1. स्थानीय जनता के साथ परामर्श किये

बिना एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए।

2. जब काम चल रहा हो तो जनता को उसे देखने एवं उसका मूल्यांकन करने का अधिकार होना चाहिए। और कार्य समाप्ति के पश्चात् उससे संबंधित रिकार्ड और खातों को सामाजिक अंकक्षण के लिए खोल दिया जाना चाहिए।
3. और कार्य से संबंधित कोई भी भुगतान करने से पूर्व जनता की उस काम से संतुष्टि होना अनिवार्य होना चाहिए। जनता की मंजूरी के बिना कोई राशि का भुगतान नहीं होना चाहिए।

'सूचना के अधिकार' का अधिनियम विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'सूचना के अधिकार' का अधिनियम सरकारी विभागों पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वे स्वयं आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी सार्वजनिक करें। और जब ऐसा होगा तो यह आम जनता, सामाजिक संस्थाओं, बुद्धिजीवियों एक अवसर देगा कि वे नीति-निर्माण, निर्णय प्रक्रिया एवं नीतियों के कार्यान्वयन में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें।

'सूचना के अधिकार' का अधिनियम और पंचायती राज

अगर 'सूचना के अधिकार' का आंदोलन विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त किया जाए तो वहां कि राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव बनाया जा सकता है कि वे पंचायती राज (जो कि ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है) से संबंधित निम्न मांगों को स्वीकार

करें।

वे मांगें हैं –

1. ग्राम पंचायत प्रधान के लिए यह नितांत आवश्यक होना चाहिए कि वह ग्राम सभा के सभी सदस्यों को मीटिंग के समय एवं उसके उद्देश्य के विषय में पूर्व सूचित करें।
2. साथ ही गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार गारंटी स्कीमों के लाभार्थियों के चुनाव के समय सभासदों की निर्दिष्ट संख्या का अवश्य ध्यान रखें। जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
3. ग्रामीण स्थायी परिसम्पत्ति के विकास की योजना के सभी ग्राम सभा सदस्यों द्वारा पारित होने तथा उनके हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही उसके लिए षान-राशि दी जानी चाहिए।
4. विकास कार्यों से संबंधित सारी जानकारी (जैसे कि मस्टर रोल, बिल इत्यादि) पंचायत कार्यालय के सूचना बोर्ड पर आम जनता के लिए प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

अगर 60 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन लेकर चलें तो 60 रुपये 100 दिन=6000 रुपये सालाना या 500 रुपये प्रतिमाह 2001 की जनगणना के अनुसार औसतन एक ग्रामीण परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं। 300 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रति सदस्य 100 रुपये प्रतिमाह या 3.50 रुपये प्रतिदिन उपलब्ध होगा। प्रतिदिन 3 रुपये में भोजन शायद ही संभव हो।

भाग 2

एन.आर.ई.जी.ए. से संबंधित

कुछ सुझाव

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानि (एन.आर.ई.जी.ए.) 2005 – ऐसा पहला राष्ट्रीय अवसर है जिसके अंतर्गत पंचायतों का सही मायनों में सशक्तिकरण किया जा सकता है। ऐसा करने में कुद बातों का खासकर ध्यान रखना होगा।

1. इस बात को सुनिश्चित करें कि निर्धारित मज़दूरी वास्तव में दी जा रही है :- पुराने अनुभवों से यह बात साबित होती है कि 'रोजगार या गरीबी उन्मूलन' की स्कीमों के इस भाग को लागू करना सबसे कठिन काम होता है और निर्धारित मज़दूरी को लागू करवाने का मुख्य भार ग्राम पंचायतों के कंधों पर है। साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं व सामुदायिक संस्थाओं की भी इसमें सक्रिय भूमिका है।
2. धनराशि के सही बंटवारे को लेकर शंकाएं :- मुख्य प्रश्न यह है कि कितनी कुशलता के साथ धन राशि का बंटवारा किया जाएगा जिससे कि चिन्हित इलाकों में आवश्यकता अनुसार रोजगार पैदा किया जा सके। साथ ही जनता एवं नागर समाज को आने वाले बजट में (एन.आर.ई.जी.ए.) के लिए निर्धारित की गई धनराशि पर भी ध्यान देना होगा। ये भी देखना होगा कि पिछली

ग्रामीण विकास एवं रोजगार योजनाओं को (जैसे कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम इत्यादि) आने वाले समय में कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है या पिछले बजट में उनको जितनी राशि आवंटित की गई थी उसे घटा (एन.आर.ई.जी.ए.) को झोली में डाल दिया जाता है। सिर्फ वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्कीम को चालू दिखाने के लिए सरकार को पिछले वर्ष की तरह एक स्कीम से धन राशि निकाल दूसरी स्कीम में डालने की प्रक्रिया को इस वर्ष नहीं दोहराना चाहिए।

3. इस अधिनियम के कार्यान्वयन में महिलाओं को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना : इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषि एवं गैर-कृषि कार्यों में लगी हुई हैं। इसका मुख्य कारण पुरुषों का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन माना जाता है जिससे महिलाओं को ग्रामीण रोजगारों में पुरुषों का स्थान लेना पड़ रहा है। साथ ही यह 'स्कीम' 100 दिनों की लघु समय सीमा एवं अकुशल शारीरिक मजदूरी जैसे कारणों से महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक स्कीम है।

जहां तक एन.आर.ई.जी.ए. के सही कार्यान्वयन की बात है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस 'स्कीम' को ग्रामीण रोजगार

की अन्य स्कीमों के साथ सम्मिलित ना कर दिया जाए। और अगर उन्हें सम्मिलित करना अनिवार्य है भी तो, जब तक (एन.आर.ई.जी.ए.) पूरे भारत में भी लागू न हो जाए तब तक सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिए। साथ ही अधिनियम में यह साफ तौर पर कहा गया है कि :-

अन्य स्कीमों की धन राशि (एन.आर.ई.जी.ए.) के अंतर्गत प्रयोग की जा सकती है अगर किये जा रहे कार्य इस अधिनियम की सूची द्वारा पारित हैं। परन्तु इसका उल्टा सम्भव नहीं है।

4. हम क्या कर सकते हैं

हम इस प्राइमर का समापन चन्द सुझावों से करेंगे कि हम (एन.आर.ई.जी.ए.) के सही कार्यान्वयन में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? ऐसे बहुत सारे विचारों पर पहले से भी काम चल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये सुझाव आपको अपने इलाके में समान कार्यक्रम शुरू करने में सहायक होंगे।

(एन.आर.ई.जी.ए.) के विषय में जानकारी फैलाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है और यह प्राइमर इस प्रक्रिया में सहायक होगा।

- प्राइमर को पढ़ें और इसके इर्दगिर्द चर्चाएं एवं कार्यशालाएं आयोजित करें।
- प्राइमर को क्षेत्रीय भाषाओं में निकालें और उसे बांटें।
- प्राइमर के चुनिंदा हिस्सों के पोस्टर बनवा, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं।

(एन.आर.ई.जी.ए.) के विषय में जानकारी फैलाने

के लिए लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों इत्यादि को माध्यम बनाएं।

पदयात्राओं, साईकिल या बस यात्राओं के माध्यम से इस विषय पर जानकारी बांटे।

राज्य सरकार पर निम्न मुद्दों को लेकर लगातार दबाव बनाए रखने की आवश्यकता है :

1. एक असरदार 'रोजगार गारंटी स्कीम' के गठन को लेकर दबाव
2. (ई.जी.एस.) के नियम मिलजुल कर बनाए जाएं इस बात पर दबाव
3. जॉब कार्ड के डिजाइन के विषय पर दबाव

जब आपके राज्य में 'रोजगार गारंटी स्कीम' लागू हो जाए तो उसके नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप उन नियमों पर आधारित अपने राज्य के लिए इसी प्रकार का एक प्राइमर भी बना सकते हैं।

साथ ही स्कीम के लागू हो जाने पर आप श्रमिकों की सहायता करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे कि -

1. न्यूनतम मजदूरी दिय जाने के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना
2. बेरोजगार भत्ता देने के लिए दबाव बनाए रखना
3. ये सुनिश्चित करना कि कार्य स्थल पर श्रमिकों के लिए सही प्रबंध है
4. भ्रष्टाचार के किस्सों को प्रकाश में लाना व सख्त कारवाई की मांग
5. एन.आर.ई.जी.ए. के श्रमिकों के संगठन तैयार करवाना इत्यादि

लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे एन.आर.ई.जी.ए. की प्रक्रियाओं को समझें उनका प्रयोग करना सीखें। जैसा कि हम जानते हैं एन.आर.ई.जी.ए. मांग द्वारा प्रभावित (डिमांड ड्रिवन) स्कीम है। यानि कि कार्यक्रमों की शुरुआत लोगों द्वारा मांग रखे जाने पर निर्भर करती है। एन.आर.ई.जी.ए. की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ निम्न बातों पर ध्यान दें।

1. ग्राम पंचायत में सामूहिक पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित करें।
2. (एन.आर.ई.जी.ए.) से संबंधित मुद्दे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की मीटिंगों में उठाए।
3. अपने इलाके में श्रमिकों को संगठित करें।
4. महिलाओं को इस स्कीम के तहत रोजगार के लिए आवेदन देने में सहायता करें।
5. काम संबंधी सुझाव पत्र तैयार कर ग्राम सभा को प्रस्तुत करें।

2004 नवंबर में सरकार ने 150 गरीब जिलों में (राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम) शुरु किया था अगर आप इन 150 जिलों में से एक में हैं तो आप इस अधिनियम से जुड़े कार्यक्रम शुरु कर सकते हैं। जैसे कि

1. राष्ट्रीय काम-के-बदले अनाज स्कीम के कार्यस्थलों पर सर्वे करें कि वहां नियमों का सही पालन हो रहा है या नहीं
2. कार्य पर लगातार नज़र रखें और 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' का प्रयोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए करें।

पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिले
1	आंध्र प्रदेश (12)	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीम नगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, विजयनगरम, वारंगल।
2	अरुणाचल प्रदेश (1)	अपर, सुबानसिरी।
3	असम (7)	बोंगईगांव, धीमाजी, गोलपाड़ा, कारबी आंगलॉंग, कोकराझार, उ. कछार हिल्स, उत्तरी लखीमपुर (लाक्षा)।
4	बिहार (23)	अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भबुआ), कटिआर, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल, वैशाली।
5	छत्तीसगढ़ (11)	बस्तर, बिलासपुर, दत्तेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा।
6	गुजरात (6)	बनासकांठा, डांग्स, दोहोद, नर्मदा, पंच महल, साबरकांठा।
7	हरियाणा (2)	महेन्द्रगढ़, सिरसा।
8	हिमाचल प्रदेश (2)	चम्बा, सिरमौर।
9	जम्मू व कश्मीर (3)	डोडा, कुपवाड़ा, पुंछ।
10	झारखंड (20)	बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामतारा, कोडरमा, लतेहर, लोहारदग्गा, पाकुर, पलामू, रांची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पं. सिंहभूम।
11	कर्नाटक (5)	बीदर, चित्रदुर्ग, दावनगेरे, गुलबर्गा, रायचूर।
12	केरल (2)	पलक्कड, वायनाड।
13	मध्य प्रदेश (18)	बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छत्तरपुर, धार, डिंडोरी, झाबुआ, खंडवा (पूर्वी निमाड़), मंडला, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, पं. निमाड़ (खरगोन)।
14	महाराष्ट्र (12)	अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, गोंदिया, हिंगोली, नान्देड, नान्दुरबार, यवतमाल।
15	मणिपुर (1)	तामेनलॉंग
16	मेघालय (2)	द. गारो हिल्स, प. गारो हिल्स।
17	मिजोरम (2)	लवंगतलाई, सैहा।
18	नागालैंड (1)	मोन
19	उड़ीसा (19)	बोलांगीर, बौध, देवगढ़, ढेंकनाल, गजपति, गंजम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, क्योझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नौपाड़ा, फूलबनी, रायगडा, संबलपुर, सोनपुर, सुन्दरगढ़।
20	पंजाब (1)	होशियारपुर।
21	राजस्थान (6)	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही, उदयपुर।
22	सिक्किम (1)	उ. सिक्किम।
23	त्रिपुरा (1)	धलाई।
24	तमिलनाडु (6)	डिंडीगुल, नागापट्टिनम, शिवगंगई, द. आरकोट/कुड्डालूर, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम।
25	उत्तरांचल (3)	चमोली, चम्पावत, टिहरी गढ़वाल।
26	उत्तर प्रदेश (22)	आजमगढ़, बाँदा, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कोशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनमद्र, उन्नाव।
27	पं. बंगाल (10)	द. 24 परगना, बांकुरा, बीरभूम, जलपाईगुडी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, द. दिनाजपुर, प. मिदनापुर, उ. दिनाजपुर।

जिलों का चुनाव करते समय तीन मुख्य बातों का ध्यान रखा गया था वे हैं कृषि मजदूरी, उत्पादन प्रति खेतीहर और जिले की अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या।